न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः–90/2017/223 आर.टी.एक्ट (2017/00090)

1. लक्ष्मी नारायण पुत्र प्रभूलाल
2. तिलोकचंद पुत्र प्रभूलाल
3. कन्हैयालाल पुत्र प्रभूलाल
   समस्त जाति माली निवासीगण–देलवाडा रोड,ब्यावर

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती विद्यादेवी बेवा जगदीश प्रसाद
2. श्रीमती शारदा देवी बेवा स्व0 श्री जयशंकर
3. श्रीमती हेमलता यादव पुत्री स्व0 श्री जयशंकर
4. श्रीमती पुष्पा यादव पुत्री स्व0 श्री जयशंकर
5. श्रीमती गुलाब यादव पुत्री स्व0 श्री जयशंकर
6. पुष्पेन्द्र यादव पुत्र स्व0 श्री जयशंकर
7. जयदेव पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद
8. जयकिशन पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद
9. जयप्रकाश पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद
   समस्त जाति अहीर निवासीगण–देलवाडा रोड ब्यावर, जिला अजमेर
10. श्रीमती उर्मिला पुत्री स्व0 श्री जगदीश प्रसाद पत्नी श्री गोपालचंद जाति यादव
   निवासी–सूतरखाना मौहल्ला नसीराबाद
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार लैंड होल्डर ब्यावर
12. कस्टोडियन विभाग जरिए तहसीलदार ब्यावर
13. प्यारेलाल पुत्र किशनलाल (तलबी बंद
14. छीतरमल पुत्र किशनलाल दिनांक 19.10.2023)
   दोनों जाति गुर्जर निवासीगण–नया नगर देलवाडा रोड, ब्यावर

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर, राजस्व वाद संख्या 88/1993

उपस्थितः–
1. श्री धर्मेन्द्र टांक अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 6 से 9
3. श्री विकास पराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11,12
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5, 10 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–13.02.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 88/1993 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 प्रभूलाल ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादिया के वाद पत्र के तथ्यो की सत्यता से इंकार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी साक्ष्य के पश्चात दिनांक 19.2.2001 को शाहादत प्रतिवादी बंर कर दी गई, जिसे कराने का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.2.2001 को खारिज किया, उसकी निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 26.9.2012 को खारिज होने के पश्चात बहस अंतिम सुनकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 88/1993 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5, 10 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2016 के विरूद्व न्यायालय के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत की है व स्थिति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं मिला उसकी साक्ष्य बन्द कर दी गई जो न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने समुचित विधिक राय प्रदान नहीं करी, जबकि सुसंगत दस्तावेजात् व न्यायिक निर्णय अपीलार्थीगण के पक्ष में मौजूद थे, लेकिन कानूनी ज्ञान के अभाव में अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य बन्द कर दिये जाने के कारण प्रस्तुत नहीं कर सके जो अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं । जिसके अवलोकन से यह सिद्ध होता है किं विवादित आराजी खसरा संख्या 109 जिसके पुराने नं. 84 है, वह नानगी बेवा जयराम जी श्रीमति चारोली पुत्री भंवर लाल से पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये खरीद कर ली गई थी, जिनमें अन्य आराजीयात भी शामिल है, जिसकी स्वीकारोक्ति करते हुए स्वयं श्रीमती चारोली ने तहसीलदार ब्यावर के समक्ष इस बेचान के क्रम में प्रभू लाल वल्द रामसुख माली के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आवेदन किया था व स्थिति यह भी है कि दीवानी वाद संख्या 139/1963 "श्रीमती चारोली बनाम प्रभू' जो दिनांक 1.10.1965 को क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज हुआ जिसके पश्चात् अतिरिक्त सिविल जज अजमेर के समक्ष प्रस्तुत दीवानी वाद संख्या 1/1966 शीषर्क "श्रीमति चारोली बनाम प्रभू' दिनांक 6.9.1966 को खारिज हुआ व इसकी अपील जिला न्यायालय अजमेर के समक्ष क्रमांक 333/66 दिनांक 17.4.1968 को जो श्रीमती चारोली ने प्रस्तुत करी वह खारिज कर दी गई। अन्ततः प्रस्तुत द्वितीय अपील राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.1980 को खारिज हो गई । इस प्रकार से इन सभी तथ्यों को छिपा कर वाद प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय से धोखा है व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकने की स्थिति के कारण उपरोक्त साक्ष्य अपीलार्थी की पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं हो सकी जो सुसंगत आवश्यक साक्ष्य है। जिनसे साबित है कि खसरा नं0 109 पूरा रकबा मूल प्रतिवादी संख्या 3 प्रभूलाल पुत्र रामसुख जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपीलार्थीगण के पिता थे, की खरीदशुदा आराजी थी, जिसके सम्बन्ध में बंटवारे का जो अनुतोष डिक्री किया गया वह अनुचित है। उक्त दस्तावेज वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित दस्तावेज है जो न्याय निर्णय में सहायक है। अतः उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

5. विद्वान अभिभाषक रेसपोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि प्रकरण में वर्णित प्रश्नगत भूमि बाबत प्रस्तुत बंटवारा वाद में दिनांक 12.12.2016 को परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद स्वीकार कर खसरा नम्बर 109 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी के वादीगण को 8 बिस्वा तथा प्रतिवादी 1 लगायत 3 को 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं कस्टुडियन विभाग को 18 बिस्वा भूमि दी जाकर डिक्री जारी की गई व तहसीलदार ब्यावर को डिक्री की पालना हेतु आदेशित किया गया। जिस पर तहसीलदार, ब्यावर द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में मौके पर विधिवत बंटवारा कर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है तथा दोनों पक्ष उक्तानुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काबिज काश्त है। उक्त दस्तावेज मण्डल में विचाराधीन प्रकरण के उचित, न्याय, निर्णय हेतु आवश्यक दस्तावेज है– आदेश तहसीलदार, ब्यावर दिनांक 17.4.2017, पालना रिपोर्ट दिनांक 17.4.2017, पर्चा मौका कब्जा कायमी दिनांक 18.4.2017, नक्शा, जमाबंदी संवत 2069–2072, नामांतरण संख्या 3049 दिनांक 17.4.2017 प्रस्तुत दस्तावेज न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में उचित न्याय निर्णय हेतु आवश्यक दस्तावेज है। जिसे रिकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज होने से इन्हें रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *अपीलांट व रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

7. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांकित 12.12.2016 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत की है, जो निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं है क्योंकि पारित निर्णय व डिक्री की अधिवक्ता द्वारा यथा समय कोई सूचना व जानकारी प्रार्थीगण को नहीं दी गई व प्रार्थीगण लगाता अस्वस्थ होने की वजह से संपर्क नहीं कर सके स्वस्थ होने पर दिनांक 20.3.2017 को संपर्क करने पर निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर जानकारी लेकर अजमेर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर अपील तैयार करवाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनरथ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

10. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2016 इस आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानून व प्रावधानों की पालना ही नहीं की है यथा प्राथमिक डिक्री पारित ही नहीं की है, ना ही तहसीलदार ब्यावर को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कोई निर्देश दिये है। निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2016 इस आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है कि मृतक व्यक्तियों के पक्ष में डिक्री पारित की गई है, जो प्रारम्भतः शून्य है। निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2016 इस आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है कि अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं मिला अविधिक रूप से उसकी साक्ष्य बन्द कर दी गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने समुचित विधिक राय प्रदान नहीं करी, जबकि सुसंगत दस्तावेजात् व न्यायिक निर्णय अपीलार्थीगण के पक्ष में मौजूद थे, लेकिन कानूनी ज्ञान के अभाव में अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य बन्द कर दिये जाने के कारण प्रस्तुत नहीं कर सके जो अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहें। जिसके अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 109 जिसके पुराने नं. 84 है, वह नानगी बेवा जयराम जी श्रीमती चारोली पुत्री भंवर लाल से पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये खरीद कर ली गई थी, जिनमें अन्य आराजीयात भी शामिल है, जिसकी स्वीकारोक्ति करते हुए स्वयं श्रीमती चारोली ने तहसीलदार ब्यावर के समक्ष इस बेचान के क्रम में प्रभू लाल वल्द रामसुख माली के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आवेदन किया था व स्थिति यह भी है कि दीवानी वाद संख्या 139/1963 "श्रीमति चारोली बनाम प्रभू' जो दिनांक 1.10.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

1965 को क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज हुआ जिसके पश्चात् अतिरिक्त सिविल जज अजमेर के समक्ष प्रस्तुत दीवानी वाद संख्या 1/1966 शीषर्क " श्रीमती चारोली बनाम प्रभू' दिनांक 6.9.1966 को खारिज हुआ व इसकी अपील जिला न्यायालय अजमेर के समक्ष क्रमांक 333/66 दिनांक 17.4.1968 को जो श्रीमती चारोली ने प्रस्तुत करी वह खारिज कर दी गई। अन्ततः इसकी प्रस्तुत द्वितीय अपील राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.1980 को खारिज हो गई। इस प्रकार से इन सभी तथ्यों को छिपा कर वाद प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय से धोखा है व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकने की स्थिति के कारण उपरोक्त साक्ष्य अपीलार्थी की पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं हो सकी जो सुसंगत आवश्यक साक्ष्य है। जिनसे साबित है कि खसरा नं0 109 पूरा रकबा मूल प्रतिवादी संख्या 3 प्रभूलाल पुत्र रामसुख जो अपीलार्थीगण के पिता थे, की खरीदशुदा आराजी थी, जिसके सम्बन्ध में बंटवारे का-जो अनुतोष डिक्री किया गया वह अनुचित है व इस आधार पर निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2016 इस आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है कि बंटवारे का मूलतः दावा था, जिसमें तनकी संख्या 1 खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत गलत निर्मित की गई एवं बंटवारें के दावे में सभी सह–खातेदार चाहे वह रिकार्डेड हो या नहीं आवश्यक पक्षकार होते है, लेकिन प्रभूलाल पुत्र रामसुख की पुत्रियों को प्रभूलाल की मृत्यु पश्चात वारिसान के रूप में पक्षकार ही निर्मित नहीं किया गया जो विधिक त्रुटि है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 88/1993 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2016 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट ने वाद पेश कर कथन किया कि मौजा गढी थोरियान तहसील ब्यावर में खतौनी संख्या 158 के खसरा नंबर 109 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म बारानी–2 भूमि स्थित है। उक्त साबिक खसरा नंबर 87 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर वादीया का कब्जा काश्त उसकी माता श्रीमती नानगी बैवा जैराम जाति अहीर के समय से ही लगातार बिना किसी हस्तक्षेप के सबकी जानकारी में शांतिपूर्वक लगातार साधिकार पूर्वक चला आने तथा अजमेर टेनेन्सी व राजस्थान टेनेन्सी एक्ट तथा अजमेर मध्यस्थता उन्मुल एंव राजस्थान जमीदारी बिश्वेदारी अबोलिशन एक्ट के आगमन के वक्त भी उसका कब्जा काश्त चला आने के कारण से उसे बॉई ऑपरेशन ऑफ लॉ कानूनन खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके है। हाल सेटलमेंट जब हुआ तो साबिक खसरा नंबर 87 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में से रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि हाल खसरा नंबर 111 में चली गई और शेष रकबा साबिक खसैरा नंबर 87 का 8 बिस्वा भूमि का हाल खसरा नंबर 109 में चला गया किन्तु हाल खसरा नंबर 109 में उक्त साबिक खसरा नंबर 87 का केवल मात्र 8 बिस्वा ही मिला है, तथा बाकी हाल खसरा नंबर 87 का केवलमात्र 8 बिस्वा ही मिला है, तथा बाकी हाल खसरा नंबर 109 में साबिक खसरा नंबर 84 का 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी व साबिक खसरा नंबर 85 का 18 बिस्वा रकबा मिलकर ही हाल खसरा नंबर 109 बना है, जिसका इस वक्त टोटल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी है, जिसका की हाल खतौनी संख्या 158 है। इस प्रकार से साबिक खसरा नंबर 84 व 85 का पूरा रकबा एंव साबिक खसरा नंबर 87 का 8 बिस्वा भूमि मिलकर खसरा नंबर 109 बना है, उसके रेकार्डेड खातेदार भू संशोधन के बाद बनी वर्किंग जमाबंदी व उसके बाद की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जमाबंदीयो में निम्न प्रकार से खातेदार काश्तकार उक्त जमाबंदी के खाना नंबर 4 में खातेदारी दर्ज किये गये है (क) प्यारेलाल व छीतरमल पिसरान किशनलाल गुर्जर साकिन नयानगर प्रभू उर्फ प्रभूलाल पुत्र रामसुख कौम माली साकिन नयानगर 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी भाग। (ख) कस्टोडियन विभाग 18 बिस्वा भाग। (ग) वादीया श्रीमति चारौली बैवा नारायण कौम अहीर 8 बिस्वा भाग। पूरा खसरा नंबर 109 मौके पर अविभाजित है, और उक्त व्यक्तियों के हिसाब से संयुक्त रूप से काबिज है अंदाजिया अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 अकेला ही काबिज चला आ रहा है, किन्तु उनकी नियत बद हो गई और उसने पूरे रकबे को एक ही खेत के रूप में तैयार कर लिया है, वादीया ने उसे मना किया तो प्रतिवादी संख्या 3 ने उनसे वायदा किया कि वह पुरी जमीन को नपवाकर नये डोलपाल उनके प्रत्येक के हिसाब से बनवा देगा किन्तु अब वह प्रत्येक सहखातेदारान के हिस्सो के अनुसार डोलपाल नहीं बना रहा है, वादीया अपने पुत्र जगदीश प्रसाद को लेकर गई तो प्रतिवादी संख्या 3 ने उन्हें उनके हिस्से की जमीन बोने में दिनांक 27.6.1993 को मना कर दिया व झगडा फिसाद करने के लिये आमादा हो गये। उपरोक्त हिस्सों के अनुसार उन्हें अपनी डोल पाल नहीं बनाने देगा और ना काश्त करने देगा और ना बंटवारा करेगा। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 3 की नियत बद हो गई। इसलिये उसकी पोजीशन प्यारेलाल व छीतरमल के हिस्सों पर भी बतौर अतिक्रमणी के है तथा उनका कोई अता पता नहीं है, इसलिये उनके हिस्से की भूमि लावारिस संपत्ति माना जाकर सिवायचक खाते में दर्ज किये जाने योग्य है। इसलिये उक्त वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि उक्त भूमि का बॉई मिट्स एण्ड बॉउण्डस विभाजन किया जावे तथा पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे तथा पृथक पृथक कब्जा संभलाया जावे तथा राजस्व अभिलेख व मानचित्र में दुरूस्ती फर्रमाई। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

12. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि दिनांक 6.7.1993 को चारोली द्वारा वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 की पूर्वज चारोली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसे दिनांक 5.12.2016 को उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 12.12.2016 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया। हमारे द्वारा अवलोकन करने पर पाया कि वादीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में केवल विभाजन हेतु वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया था उक्त वाद का जवाब तहसीलदार ब्यावर द्वारा पेश जवाब का अवलोकन करने पर पाया कि वादी/रेस्पोडेंट को वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा नहीं होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा तहसीलदार ब्यावर से वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 109 के वर्तमान मौके की विस्तृत रिपोर्ट चाही गई थी उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार ब्यावर द्वारा यह अंकन किया गया है कि उक्त विवादित आराजीयात खसरा संख्या 109 के रकबा 1–15–10 बिस्वांसी वर्तमान में प्रभु वल्द रामसुख माली के वारिसान लक्ष्मण रामपाल त्रिलोक कानाराम पुत्रान प्रभु वगै० कौम माली का कब्जा है तथा वादी को कब्जा दिलाए जाने हेतु वाद दायर किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 3 प्रभुलाल/उसके विधिक वारिसान का कब्जा काश्त होना बताया गया कानूनी रूप से कब्जेधारी को बेदखल किए बिना बंटवारे की डिक्री विधिक रूप से पारित नहीं की जा सकती तहसीलदार के जवाब व प्रतिवादी संख्या 3 के जवाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तनकी कायम नहीं कर किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं लिया है कानूनी रूप से बंटवारे की डिक्री में प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री के आधार पर निर्णय किया जा सकता है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। कब्जेधारी को बेदखल किए बिना, बिना कब्जे के बंटवारे की डिक्री विधिक रूप से पारित नहीं की जा सकती है। अतः वादग्रस्त आराजी पर कब्जा साबित नहीं कर पाते है तो वाद डिक्री नहीं हो सकता है।

इस बाबत राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से भी स्पष्ट है– 1989 आर0आर0डी0 774, 527, 1992 आर0आर0डी0 114, 2011 आर0आर0डी0 1120, 1999 आर0आर0डी0 158, 1990 आर0आर0डी0 425.

उपरोक्त विवेचन के क्रम में व न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं होने से उनके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

13. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 88/1993 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2016 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13/02/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

;Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाशः—रामचन्द्र, आर.ए.एस.

लक्ष्मी नारायण पुत्र प्रभूलाल जाति माली निवासी देलवाडा रोड ब्यावर जिला ब्यावर व अन्य।

बनाम

श्रीमती विधादेवी बेवा जगदीश प्रसाद जाति अहीर निवासी देलवाडा रोड ब्यावर जिला ब्यावर व अन्य। निवासी अमृतपुरा ग्राम गोविन्दगढ हाल निवासी पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर व अन्य।

(अपील संख्या 90/2017 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर मुबर्खे 12 माह 12 सन् 2016, प्रकरण संख्या 88/1993 बउनवानी श्रीमती चारोली बनाम प्यारेलाल वगैरह)

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0

यह अपील ब तारीख 13 माह 02 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री धर्मेन्द्र टांक अभिभाषक अपीलांट,श्री ईश्वर देवडा,अभिभाषक रेस्पों संख्या 1,2, 6 से 9, श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेट संख्या 11,12,रेस्पों संख्या 03 से 05,10 अनुपस्थित, समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः—अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 88/1993 में पारित निणर्य व डिक्री दिनांक 12.12.2016 को निरस्त किया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –. रूपये– –. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का– – अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 13 माह 02.सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर

(मोहर: न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये पैसे	रेस्पोंडेन्ट	रूपये पैसे
1.स्टाम्प अपील	–	1.स्टाम्प वकालतनामा	–
2.स्टाम्प वकालतनामा	–	2.स्टाम्प अर्जी	–
3.इजराय हुक्मनामा	–	3.इजराय हुक्मनामा	–
4.वकील फीस बाबत्	–	4.महनताना वकील	–
मीजान	–	मीजान	–

नोटः—इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें

Scanned with CamScanner